झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग।

अधिसूचना

राँची, दिनांकः– 2/8/19

संचिका संख्या–04/आ0–01–1010/2019 2754 / श्री मनोज कुमार चौधरी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, देवधर सम्प्रति प्रभारी कार्यपालक अभियंता, दुमका–2 के विरूद्ध शहरी पुनर्गठन जलापूर्ति योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने एवं वित्तीय अनियमितता बरतने के मामले में विभागीय कार्यवाही उपरांत संकल्प सं० 897 दिनांक 21.02.2014 द्वारा स्वीकृत काल वेतनमान के निम्नतम प्रक्रम पर 3 (तीन) वर्ष के लिए अवनति का दण्ड अधिरोपित किया गया है। उक्त दण्डादेश को श्री चौधरी द्वारा माननीय न्यायालय में चुनौती देते हुए W.P.(S) No. 4908/ 2014 दायर किया गया।

2. वाद में दिनांक 03.04.2019 को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का Operative part निम्नवत हैः– "----------In view of the above discussion made, impugned Memo no. 897 dated 21.02.2014 is, hereby quashed. The matter is remanded to the authority concern to proceed against the petitioner in accordance with law after following the due process as required under the law.

With the aforesaid observations and directions, the present writ petition is, hereby, allowed."

3. उक्त न्यायनिर्णय के आलोक में न्यायालय द्वारा श्री चौधरी के विरूद्ध निर्गत उक्त दण्डादेश को निरस्त करते हुए वादी के विरूद्ध नियमानुसार विहित प्रक्रिया अपनाते हुए पुनः कार्रवाई करने की स्वतंत्रता दी गयी है। अतः उक्त न्याय निर्णय के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं० 2228 दिनांक 24.06.2019 द्वारा उक्त अधिरोपित दण्डादेश को निरस्त किया गया है एवं मामले के समीक्षोपरांत न्यायालय निर्णय के आलोक में श्री चौधरी के विरूद्ध पुनः नए सिरे से विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4. तद्नुसार श्री मनोज कुमार चौधरी, तत्कालीन प्रभारी कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, देवघर सम्प्रति प्रभारी कार्यपालक अभियंता, दुमका–2 प्रमण्डल के विरूद्ध झारखण्ड सराकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के नियम 17 के तहत् प्रपत्र 'क' गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित की जाती है।

5. विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु श्री कामेश्वर प्रसाद, विभागीय जाँच संचालन पदाधिकारी, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को जाँच संचालन पदाधिकारी तथा श्री राकेश चन्द्र, अवर सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जा सकता है।

6. जाँच संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही संपन्न कर अधिकतम 105 दिनों (तीन माह पन्द्रह दिनों) में जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायेगें।

7. आरोपित पदाधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे 15 (पन्द्रह) दिनों में अपना लिखित बचाव– बयान जाँच संचालन पदाधिकारी को समर्पित करेंगे तथा उनके निर्देश पर उनके द्वारा निर्धारित तिथि को उनके समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा विभागीय कार्यवाही के संचालन में हर अपेक्षित सहयोग करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)

सरकार के संयुक्त सचिव।

02/08/19

P.T.O...

ज्ञापांक– 2755 राँची,दिनांक– 2/8/19

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 2755 राँची,दिनांक– 2/8/19

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 2755 राँची,दिनांक– 2/8/19

प्रतिलिपि– मा0 विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ अभियन्ता प्रमुख कोषांग/सभी संयुक्त सचिव / सभी मुख्य अभियन्ता/ सभी अधीक्षण अभियन्ता (यॉंत्रिक सहित)/सभी अवर सचिव (प्रशाखा 01 एवं 04)/सभी कार्यपालक अभियन्ता (यॉंत्रिक सहित)/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित।

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 2755 राँची,दिनांक– 2/8/19

प्रतिलिपि– श्री कामेशवर प्रसाद, विभागीय जाँच पदाधिकारी, कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभषा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा नियुक्त विभागीय जाँच पदाधिकारी सह संचालन पदाधिकारी /श्री राकेश चन्द्र, अवर सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची सह उपस्थापन पदाधिकारी, को आरोप पत्र (साक्ष्य सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु0–यथोपरि।

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 2755 राँची,दिनांक– 2/8/19

प्रतिलिपि– श्री मनोज कुमार चौधरी, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, देवघर सम्प्रति प्रभारी कार्यपालक अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, दुमका–02 को आरोप पत्र (साक्ष्य सहित) की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशित किया जाता है कि विभागीय जाँच पदाधिकारी के निर्देश पर सुनवाई के हर तिथि को उनके समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्पित करेंगे तथा जाँच कार्य में हर अपेक्षित सहयोग करेंगे।

अनु0–यथोपरि।

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 2755 राँची,दिनांक– 2/8/19

प्रतिलिपि–श्री नितिन कुमार, राज्य समन्वयक (IT) (PMU) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय बेवसाईड पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के संयुक्त सचिव।

02/08/19